(5) आर्थिक तंगी Economic Crunch

भारत वर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को सन्तान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके श्रम में हाथ बंटाये और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बाँटने का कार्य करें। लेकिन लड़कियाँ न तो श्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाती हैं, न ही आर्थिक जिम्मेदारियों का वहन कर पाती हैं। अशिक्षित होने के कारण

लड़कियों को पराया धन समझकर रखते हैं-माता-पिता। इस प्रकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़का की कामना की जाती है। जिससे लैंगिक विभेद पनपता है।

(6) सरकारी उदासीनता (Government Apathy)

लिंगीय विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारक है। सरकार लिंग में भेद-भाव करने वालों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं करती है और चोरी छुपे चिकित्सालयों और निजी क्लिनिक पर भ्रूण की जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी आफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को

को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है जिसमें लैंगिक भेद-भाव में वृद्धि होती है।

(7) सांस्कृतिक कुप्रथाएँ (Cultural Factor Misdeeds)

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष-प्रधान रही है। यद्यपि अपवादस्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों, विदुषियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था।

भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य ( ) और कुछ कार्य को तो स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री-पुरुष की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है।

(8) सामाजिक कुप्रथाएँ — Social Practices OR Misdeeds

दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह

(10) मनोवैज्ञानिक कारक – Psychological Factor

प्रारम्भ से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन परमेश्वर की भाँति समझकर करना चाहिए। समाज भी आदर्श स्त्री का दर्जा ऐसी महिलाओं को प्रदान करता है जिनके साथ पुरुष सान्निध्य रहता है, अकेली स्त्री को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ हैं और वे स्वयं स्त्री होकर भी बालिकाओं की भ्रूण हत्या और अन्य लैंगिक विषमताओं का विरोध नहीं करती हैं।

लैंगिक विभेदों की समाप्ति के उपाय

Measures to End Gender Discrimination

भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, लेकिन इनके विभेदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी चिन्ताजनक है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्द्धसरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किये जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लायी जा सके। लैंगिक विभेदों के कारण स्त्री-पुरुष अनुपात की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है।

लैंगिक विभेदों को कम करने तथा धीरे-धीरे उनको समाप्त करने के लिए निम्नांकित उपायों को सुझावस्वरूप प्रस्तुत

किया जा सकता है जो निम्नवत है —

① जन - शिक्षा का प्रसार - (Dissemination of Mass - Education)

वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के - लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सके। पहले लड़कियों को साइकिल तथा गाड़ी चलाने की नहीं दी जाती थी तो माना जाता था कि ये कार्य नहीं कर सकती ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा जागरूकता आयी है और भी लायी जानी चाहिए। जिससे लोग यह समझ सके कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता। व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं।

② जागरूकता लाना - Bring awareness

भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है इसीकारण स्त्री-पुरुषों में वर्षों से चली रही भेद भाव की भावना अभी तक जीवित है जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। जागरूकता लाने के वर्तमान में तमाम साधन है - Exp. T.V. Radio. Mobile. Internet, Newspaper etc. जिससे लोगों को लड़का - लड़की के घटते अनुपात तथा उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए। लिंगीय विभेद के कारण लड़का - लड़की अनुपात में आ रही कमी के दुष्परिणाम - (i) परिवार की अपूर्णता (ii) स्त्री नहीं होगी तो पुरुष का भी कोई महत्व नहीं होगा (iii) स्त्रियों की संख्या धीरे-2 समाप्त हो गयी तो सृष्टि का चलना भी सम्भव नहीं होगा।

Important Calls Things to Do Meetings

(3) भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन (Strict Provisions to Prevent Feticide and Adherence) – भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है ऐसा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है लेकिन मूर्त रूप से निजी क्लीनिकों पर भ्रूण परीक्षण और गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या गर्भ में करने का धंधा खूब फल-फूल रहा है। यह छोटे कस्बों और शहरों की अपेक्षा राजधानियों और महानगरों में अत्यधिक है। कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति भारत में भयावह है इसे रोकने के लिए प्रावधानों का पालन करे

(4) बालिका शिक्षा का प्रसार – (Dissemination of girl child education

जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहाँ बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी-लिखी लड़की घर-परिवार पर बोझ नहीं समझी जाति, लड़कियाँ शिक्षित होकर स्वयं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी करती है। जिसके कारण समाज में कमी आती है

(5) शिक्षा-प्रणाली में सुधार – Education System Reform –

भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी नकल कर रही है, भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त है जैसे- अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य गतिहीन तथा उबाऊ शिक्षण विधियाँ, विद्यालयों में बालिकाओं के साथ भेद-भाव व्यवहार, पढ़ाई का वास्तविक जीवन से सम्बद्ध न होना इत्यादि। समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए। (1) शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

(6) सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक (Stop Social Misconducts)
समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह विधवा-विवाह निषेध कन्या भ्रूण हत्या आदि प्रचलित है जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। इसलिए इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में अनेक प्रयास- जैसे- शारदा एक्ट द्वारा बाल-विवाह पर रोक, राजाराम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का समापन संविधान द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण आदि के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। अनेक प्रकार के भ्रान्तियों का निराकरण करके पुरुष के समान स्थान समाज में दिलाकर लिंग भेद को समाप्त किया जा सकता है।

(7) सुरक्षात्मक वातावरण (Protective Environment)

बालक तथा बालिका के लिंग में इसलिए भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे-जैसे वृद्धि होती है वैसे-वैसे माता-पिता को उनकी चिन्ता सताने लगती है। क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत में आये दिन- बलात्कार, छेड़छाड़, एसिड फेंकने जैसी घटनायें महिला के साथ घट रही हैं।

(8) प्रशासनिक प्रयास (Administrative effort)

जो भी नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए प्रशासन को ऐसे चिकित्सालयों व्यक्तियों तथा क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा इनकी मान्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings

बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जनसामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके।